

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म0 प्र0)

क्रमांक / 746 रा0वित्त0-2/2020

भोपाल, दिनांक 19/10/2020

// आ दे श //

मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर जिला भोपाल, म0प्र0 वित्तीय नियमावली भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम 43 के प्रावधानों एवं म0प्र0 शासन श्रम विभाग इन्दौर (म0प्र0) की अधिसूचना क्रमांक-1/11/अन्वे0/पांच/2015/36273 इंदौर दिनांक 29/09/2020 के अनुसार इस आदेश के द्वारा भोपाल जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु मजदूरी दरें दिनांक 01/10/2020 से 31/03/2021 तक के लिये निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ:-

‘अनुसूची’ “क”

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागो मे कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिको एवं कर्मचारियो के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़ो मे)।

(30 दिवस के मान से)

श्रमिको का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		मूल वेतन			न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		मूल वेतन			
	प्रतिमाह	प्रति दिन	प्रतिमाह	प्रति दिन	प्रतिमाह	प्रति दिन		प्रतिमाह	प्रति दिन	प्रतिमाह	प्रति दिन	प्रतिमाह	प्रति दिन		
	दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक								दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
अकुशल	6500.00	216.66	1775.00	59.17	8275.00	275.83	276.00	6500.00	216.66	1900.00	63.33	8400.00	280.00	280.00	
अर्धकुशल	7057.00	235.33	2075.00	59.17	9132.00	304.40	304.00	7057.00	235.23	2200.00	73.33	9257.00	308.56	309.00	
कुशल	8435.00	281.16	2075.00	69.17	10510.00	350.33	350.00	8435.00	281.16	2200.00	73.33	10635.00	354.49	354.00	
उच्च कुशल	9735.00	324.50	2075.00	69.17	11810.00	393.66	394.00	9735.00	324.50	2200.00	73.33	11935.00	397.83	398.00	

विशेष टीप:-

- उपर्युक्त सूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरे 30 दिवस से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों (मजदूरों) का वर्गीकरण पूर्वानुसार ही रहेगा।

कलेक्टर  
जिला भोपाल